

20/9/18

प्राची के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र द्वारा
 212 राजस्थान कारतकारी अधिनियम पर बटस बुनी
 गई। बटस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन
 किया गया। बाद अवलोकन पाया कि ग्राम लोरी
 फवार क्षेत्र बटापुरपुरा तहसील विजयनगर की गंगावडी
 सम्वत 2066 से 2069 के खसरा नम्बर 986/1
 किस्म बंजर भूमि सरकारी खाते में दर्ज पाया गया
 तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार व प्रस्तावों
 साक्ष्य के अनुसार प्राची के पक्ष में प्रथम हस्त्या
 केस व सहुलियत का संकलन व भूखेपि क्षति का
 विन्दू बनना नहीं पाया जाता है। अतः प्राची का
 प्रार्थना पत्र द्वारा 212 राज० कारत० अधिन० स्वीकार
 योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। खर्चा
 पक्षकारान् अपना अपना वहन करे।
 अतः आदेश सुनाया गया।

(निर्वाचक प्रमुख)
 जयपुर अधि. एवं सहायक एवं
 भूदा (अजमेर) राज.

